



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2018

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1547

शम्भू सिंह पुत्र श्री सुबरन सिंह,  
निवासी- ग्राम डाढ़ (नगर पंचायत  
सेमरिया वार्ड क्रमांक-01) तहसील  
सिमरिया  
जिला रीवा (म.प्र.)

--आवेदक

### विरुद्ध

1. निर्मल सिंह पत्नी महेश सिंह,
2. उदय बहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,  
सिंह,
3. संतोष सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,
4. विजय सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,
5. अशोक सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,
6. पुष्पा पुत्री स्व. श्री महेश सिंह, पत्नी  
जगदम्बा सिंह, निवासी- ग्राम देउहट  
(उ.प्र.)
7. अनीता सिंह पुत्री स्व. महेश सिंह,  
पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह, निवासी-  
ग्राम अमिलिया तहसील ~~सिमरिया~~  
सिमरिया  
जिला रीवा (म.प्र.)
8. सुनीता सिंह पुत्री स्व. श्री महेश  
सिंह, पत्नी राघवेन्द्र सिंह, निवासी-  
ग्राम अमिलिया तहसील ~~सिमरिया~~  
सिमरिया  
जिला रीवा (म.प्र.)
9. गुड्डु सिंह पुत्री स्व. श्री महेशसिंह,  
पत्नी सश्रीम सिंह, निवासी- ग्राम  
विजयपुर जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)
10. सरोज सिंह पुत्री स्व. श्री महेश सिंह  
पत्नी बिनोद सिंह, निवासी- ग्राम  
अमिलिया तहसील ~~सिमरिया~~  
सिमरिया जिला  
रीवा (म.प्र.)

--अनावेकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)  
द्वाराप्रकरण क्रमांक 05/निगरानी/अ-19/2016-17  
में पारित आदेश पारित दिनांक 25/01/2018 के  
विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा  
50 के अधीन पुनरीक्षण।

श्री विनोद भागीरथ, कोषी  
हजार हजार दिनांक 5/3/18  
को प्रस्तुत।  
CR. 8/3/18

विनोद भागीरथ  
5/3/18

विनोद भागीरथ  
सिमरिया  
05-03-2018

विनोद भागीरथ

15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

५/निगा/र/का/२२/१३/१५५७

शम्शु/जि.के.ल

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

8/1/19

आवेदक की ओर से श्री वि.रा.२. म.शिव .....  
 अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला र.का. (क.प्र.) .....  
 के प्रकरण क्रमांक ०५/निगा/३-१९/१६-१४ में पारित आदेश दिनांक  
२५-१-१४ ..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में  
 दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित  
 संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु  
 प्रकरण आयुक्त संभाग र.का. ..... के न्यायालय को अंतरित किया  
 जाता है। उभय पक्ष दिनांक १८/०५/१९ ..... को संभागीय आयुक्त  
र.का. ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य

*[Handwritten signature]*